



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 823]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 823]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 04/2018-स्वापक नियंत्रण-1

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1122(अ).**—स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष) नियमावली, 2006 के अनुसार केंद्र सरकार, एतद्वारा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस कोष से धारा 7क की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्त पोषित क्रियाकलापों का विवरण देने वाले और साथ में लेखा विवरण को दर्शाने वाली वार्षिक रिपोर्ट को अधिसूचित करती है यथा:-

## क. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान धारा 7 क की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्त पोषित गतिविधियां

क्रम सं०/एप्ली नं०	स्वीकृति आदेश सं० एवं तारीख	संगठन का नाम/सहायता प्राप्त क्रियाकलाप	स्वीकृत राशि (₹.)	जारी राशि
1/81	का० आ० सं० 27, दिनांक 17.04.2017	नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली, भारत में स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग का उपचार कराने वालों में नए स्वापक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए: एक बहुकेंद्रीक अध्ययन	6,50,62,1928	8,74,1628
2/92	का० आ० सं० 28, दिनांक 08.05.2017	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली, फसल वर्ष 2017-18 में अवैध पोस्ट/कैनबिस को नष्ट करने के लिए	50,00,000	50,00,000

उक्त वर्ष के दौरान जारी किया गया कुल धन =58,74,-/628

**ख. एनएफसीडीए मुख्य शीर्ष 8121.00.118.01- सामान और आरक्षित कोष, वर्ष 2017-18 के लिए, प्राप्ति और वितरण**

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष ०) (रु.)	जब्त संपत्ति की सेल प्रोसीड/ अनप्रयुक्त धन	कोई भी आय (ब्याज क.)	वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष (रु.)	जब्त संपत्ति की सेल प्रोसीड/ अनप्रयुक्त धन
2017-18	234,082, 318	1.सेल प्रोसीड- 21,810,090/- 2. अनुप्रयुक्त राशि/- 589,934/- कुल-22,400,024/-	16,315,538	38,715,562	5,874,628	266,923, 252

[फा. सं. N-21014/1/2014-NC-I]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2018

**No. 04/2018-Narcotics Control-1**

**G.S.R. 1122(E).**—In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial year 2017-18 together with Statement of Accounts as under: --

**A. ACTIVITIES FINANCED UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7A OUT OF THE FUND DURING THE FINANCIAL YEAR 2017-18**

S.No. /Appl. No.	Sanction order No. & Date	Name of Organization/Activity supported	Amount Sanctioned (Rs.)	Amount Released (Rs.)
1/81	S.O.No.27 dated 17.04.2017	National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC), All India Institute of Medical Science (AIIMS), New Delhi for detection of New Psychoactive Substances among Substance Abuse Treatment seekers in India : A Multi-centric Study	6,50,62,928/-	8,74,628/-
2/92	S.O.No.28 dated 08.05.2017	Narcotics Control Bureau, New Delhi for destruction of illicit Poppy/cannabis for crop year 2017-18	50,00,000	50,00,000
<b>Total Fund released during the year is Rs. 58,74,628/-</b>				

**B. STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NFCDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01 – GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE YEAR 2017-18 RECEIPT AND DISBURSEMENT**

Financial Year	Opening Balance (Rs.)	Sale Proceed of Forfeited property / Unutilized money (Rs.)	Any Income (Interest) (Rs.)	Total Receipts (Rs.)	Disbursement (Rs.)	Closing Balance (Rs.)
2017-18	234,082,318	1. Sale Proceed- 21,810,090/- 2. Refund of unutilized amount- 589,934/- Total- 22,400,024/-	16,315,538	38,715,562	5,874,628	266,923,252

[F. No. N-21014/1/2014-NC-I]

T.K. SATPATHY, Under Secy.